न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 34 / 2021

अपीलांट

1. तोगा पुत्र फगलुजी जाति रेबारी निवासी आहोर तहसील आहोर जिला जालोर (राज.)।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालोर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. श्रीविक्रम सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

—: निर्णय :—

दिनांक : 15 / 07 / 2021

अपीलान्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वार ा राजस्व वाद संख्या 104 / 2011 मेंपारितनिर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्रम आहोर के वर्तमान ख.न. 1377 / 1273 कुल रकबा 0.32 है.किस्म चाही सोयम व जावसोयम की कृषि भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व अपीलाण्ट के पिता फगूल पुत्र अनीया के नाम की थी लेकिन सेटलमेन्ट ऑथोरिटी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाण्ट के पिता का नाम हटाकर भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि पर कदीमी काल से आज दिन तक लगातार वादी अपीलाण्ट का कब्जा चला

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आ रहा है एवं कब्जे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाह के बयानात करवाये इसके बाद रेस्पोडेन्टस् द्वारा अपने जबाव में भी यह तथ्य स्वीकृत किया कि वादग्रस्त आराजी से वादी अपीलाण्ट को आज दिन तक भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है लेकिन रेस्पोडेन्ट् तहसीलदार आहोर द्वारा दावें को खारीज करने का निवेदन किया इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर वादी अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा पारित निर्णय न्याय के नियमों के विपरित होने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के आधार पर आधारित नहीं होने से प्रथम दृष्टया की काबिले खारीज है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहन अवलोकन नहीं कर निर्णय पारित किया है जिस कारण अपीलाण्ट न्यायाल हाजा की अपीलीय शक्तियों के आधार पर गुणावगुण पर अपील का निस्तारण करवाना चाहते है एवं आगे अपील मीमों में विस्तृत रूप से बताया कि ग्राम आहोर के पुराने ख.नं. 552/4 रकबा 2 बीधा की कृषि भूमि संवत् 2012 से पूर्व से ही जागिरी काल के समय से ही अपीलाण्ट तोगा के पिता फगलू पुत्र अनीया रेबारी के नाम अपीलाधीन आराजी बतौर खातेदारी चली आ रही थी लेकिन पुराने रेकर्ड उपलब्ध नही होने अथवा नष्टीकरण किये जाने के कारण रेकर्ड उपलब्ध नहीं है लेकिन पूराने जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 में अपीलाण्ट फोगा के पिता फगलू पुत्र अनीया के नाम रेकर्ड दर्ज में खातेदारी दर्ज है किन्तु दौराने सेटलमेंट भू–प्रबंध अधिकारियो द्वारा उक्त खसरा नम्बर 552/4 की भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर दिया गया था जबकि उक्त भूमि तोगा के पिता फगलू को जागिरी ठिकानेदार द्वारा जुताई एवं बुवाई के लिए दी गयी थी जो आगे चलकर के संवत् 2012 के समय से खातेदारी दर्ज हो गयी थी लेकिन पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड जागिरी ठिकाने के द्वारा रेकर्ड नष्ट कर दिये था। लेकिन आहोर तहसील ने भू–प्रबंधं विभाग एवं राजस्व अधिकारियों एव कर्मचारियों द्वारा बिना राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति के खातेदारी भूमि के राज्य सरकार में निहित कर दिया था । पुश्तैनी खातेदारी होने के कारण अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर हमेशा कब्जाकाश्त लगातार चला आ रहा है भू–प्रबंधं अधिकारियों को किसी की खातेदारी भूमि को राजकीय भूमि किये जाने क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी उनके द्वारा अपने अधिकारों से बाहर जाकर के भूमि को राजकीय सिवायचक किया गया जबकि इनके पास किसी सक्षम ऑथोरिटी का आदेश नहीं था तथा खातेदारी भूमि की प्रविष्ठी को परिवर्तित करने का भी क्षेत्राधिकार नहीं था अतः अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को पुनः खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जावे। एवं ग्राम आहोर के पुराने खसरा नम्बर 552/4 अपीलाण्ट के पिता का खातेदारी में था तथा उक्त खसरा नम्बर सेटलमेंण्ट के पूर्व मूल खसरा नम्बर 552 थे एवं मूल खसरा नम्बर 552 में से आहोर ठिकाने के पूर्व जागीरदार द्वारा अलग–अलग काश्तकारों को फसल बवाई–जुताई के लिए भूमि दी थी एवं इसी क्रम में अपीलाण्ट के पिता फगलू पुत्र अनीया को 2 बीघा जमीन काश्त हेतु दी थी इसी मूल खसरा नम्बर 552 मे से बने है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त ही पुश्तैनी रूप से खातेदारी जागीरी समय होने से चला आ रहा है वर्तमान में अपीलाण्ट नवीन खसरा नम्बर 1377/1273 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है जो कि पुराने खसरा नम्बर 552/4 से ही बने है एव आगे लिखा कि चुंकि अपीलाण्ट अनपढ व्यक्ति होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली में पुराने दस्तावेज यथा जमाबंदी इत्यादि समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पाया था इस कारण वादी का दावा खारिज किया गया था लेकिन इसके बाद अपीलाण्ट द्वारा विभिन्न जानकारों से सलाह मशवरा कर पुराने दस्तावेजों की गहन पडताल करवाई जिसके बाद अपीलाण्ट को पुरानी जमाबंदी की सम्वत 2018 से 2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध हुई। इस प्रकार सेटलमेन्ट ऑथेरिटी कोबिना किसी सक्षम आदेश के अपीलाण्ट की खातेदारी को विलोपित करने का अधिकार ही नही था इसके बावजूद भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाण्ट की रिकॉडेड खातेदारी को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट के पूर्वज एवं अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट के पूर्व का कब्जा है एवं प्रथम सेटलमेंट सवंत् 2012 में हुआ था तब से ही अपीलाण्ट के पूर्वज व अपीलाण्ट वादग्रस्त खसरा की आराजी पर कृषक की सदभावी काश्तकार हैसियत कब्जा काश्त करते आ रहा है, जिससे उक्त परिस्थितियों में अपीलाण्ट उक्त वादग्रस्ज आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने की तिथी से पूर्व ही सदभावी काश्तकार चला आ रहा था। जिससे भी अपीलाण्ट को आराजी के खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार है **धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के तहत अपीलाण्ट बतौर खातेदार हो गया था अन्त में निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.04.2021 को अपास्त किया जाकर ग्राम आहोर के वर्तमान ख.न. 1377/1273 रकबा 0.32 है. की भूमि का अपीलाण्ट को पूर्व की खातेदारी होने से इस बाबत जो राजस्व रेकॉर्ड संवंत 2018 से 2021 का प्रस्तुत किया गया है उसमें अपीलाण्ट के पिता फगलू वादग्रस्त आराजी के बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो अपीलाण्ट को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड चालू जमाबंदी में इन्द्राज करने हेतु रेस्पोडेन्ट नं. 2 तहसीलदार आहोर को आदेश प्रदान करावें एवं अपील के साथ चालू जमाबंदी, पुरानी जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल इत्यादि दस्तावेजात प्रस्तुत किये है।

इसके बाद अपीलाण्ट द्वारा टाईपसुदा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम आहोर के पुराने ख.नं. 552/4 रकबा 2 बीधा की भूमिका अपीलाण्ट के पिता रिकॉडेड खातेदार था एव पुरानी जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 की जमाबंदी में अपीलाण्ट के पिता फगलू पुत्र अनीया का नाम दर्ज था लेकिन अपीलाण्ट के पिता फगलू की मृत्यु हो जाने के कारण एवं सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट कमेटी द्वारा फगूल के स्थान पर बतौर जायज उत्तराधिकारी की हैसियत से अपीलाण्ट का नाम दर्ज न हीं कर भूमि को राजकीय दर्ज कर दिया जबकि मौके पर अपीलाण्ट का वक्त प्रथम सेटलमेंट से पुश्तैनी कब्जा काश्त है। एवं अपीलाण्ट को आज दिन तक भौतिक रूप से कब्जे से बेदखल भी नहीं किया गया है इस प्रकार सेटलमेन्ट ऑथोरिटी को रिकॉर्ड में परिवर्तन करने की कोई मान्यता नहीं थी जिसके संबंध में आर.आर.टी. 2015(2) पेजनं. 1214, आर.आर.टी. 2001(1) पेजनं. 244, आर.आर.डी. 1996 पेजनं. 457 एवंआर.आर.टी. 2020 पेजनं. 235 में समय–समय पर माननीय अपर न्यायालय में दिशा–निर्देश प्रदान किये है कि सैटलमेन्ट विभाग को पुराने राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज को विलोपित करने का अधिकार नही था एवं ऐसा किसी भी प्रकार का फेरबदल प्रारम्भ से ही शून्य माना जायेगा। एवं ग्राम आहोर के मूल खसरा नम्बर 552/4 में से तत्कालीन जागीरदार

अलग—अलग काश्तकारों को भूमि बुवाई एवं जुताई के लिए दी थी। एवं वर्तमान में अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 1377/1273 रकबा 0.32 हैक्टर पर कब्जा काश्त है जो कि पुराने खसरा नम्बर 552/4 से ही बना है

इसके बाद रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय अधिवक्ता बहस म निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सरकारी खाते में दर्ज है एवं अपीलाण्ट का नाम विलोपित हुए करीब 55 वर्ष का लम्बा समय होगयाहै इस कारण वर्तमान में अपीलाण्ट का खातेदारी हक काल बाधित होने से समाप्त हो गया है एवं मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा होने के संबंध में भी कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कियेहै, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलीय आदेश पारित किया गया है वह समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील बलहीन होने से खारीज फरमाई जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों के साथ प्रस्तत दस्तावेजात का भी गहन अध्ययन किया गया जिससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलाण्ट की वादग्रस्त आराजी के पुराने ख.नं. 552/4 रकबा 2 बीधा की भूमि में पुरानी जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 में अपीलाण्ट के पिता फगलू पुत्र अनीया बतौर खातेदार नाम इन्द्राज था लेकिन दोराने सेटलमेन्ट नवीन ख.नं. 1377/1273 रकबा 0.32 है. बनाते समय सेटलमेन्ट ऑथोरिटी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी विधि सम्मत आदेश के अपीलाण्ट का नाम हटाकर भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया। इस संबध में वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर निर्णय आर.आर.टी. 2015(2) पेजनं. 1214, आर.आर.टी. 2001(1) पेजनं. 244, आर.आर.डी. 1996 पेज नं. 457 एवं आर.आर.टी. 2020 पेजनं. 235 में प्रतिपादित सिद्वान्त मानने योग्य है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिये गये है कि सेटलमेन्ट कमेटी को पुराने राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर इन्द्राज में हेराफेरी कर फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था एवं ऐसे इन्द्राज प्रारम्भ से ही शून्य माने जाने योग्य है। अपीलाण्ट के पूर्वज एवं अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट के पूर्व का कब्जा है एवं प्रथम सेटलमेंट सवंत् 2012 में हुआ था तब से ही अपीलाण्ट के पूर्वज व अपीलाण्ट वादग्रस्ज खसरा की आराजी पर कृषक के हैसियत कब्जा काश्त रहा है, जिससे उक्त परिस्थितियों में अपीलाण्ट उक्त वादग्रस्ज आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने की तिथी से पूर्व ही सदभावी काश्तकार चला आ रहा था। **धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के तहत अपीलाण्ट बतौर खातेदार हो गया था। अपीलाण्ट ने संवंत 2018 से 2021 की जमाबंदी प्रस्तुत की है उसमें अपीलाण्ट के पिता फगलू वादग्रस्त आराजी के बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जो कि इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तथा फगलू सद्भावी काश्तकार जागीरी ठिकानेदार के समय से सम्वत् 2012 से पूर्व से ही बतौर सद्भावी खातेदार काश्तकार रहा है यह संवत् 2018 से 2021 तक के राजस्व रेकॉर्ड से स्पष्ट होता है। जहां तक विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि में लम्बे समय से अपीलाण्ट का नाम विलोपित होकर सरकारी भूमि में लगातार दर्ज होने के आधार पर अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है, यह तथ्य न्याय के प्रतिपादित नियमों के आधार पर मानने योग्य नहीं है। ऐसी

स्थिति में वाद ग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा एवं हक प्रथम दृष्टया पुराने राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सेटलमेन्ट की भूल के कारण अपीलाण्ट को उनके खातेदारी अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलाण्ट न्यायालय हाजा की अपीलीय शक्तियों का उपयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि में खातेदारी उदघोषणा करवाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का कानूनन अधिकारी है। किसी भी भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी एवं कार्मिको को अपने स्तर पर खातेदारी अधिकारो को विलोपित करने का अधिकार नही है जब तक कोई सक्षम ऑथोरिटी एवं राज्य सरकार का आदेश नहीं हो। इस प्रकरण में इस बिन्दु का अभाव है।

अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर के दावा संख्या 104/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2021 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट को ग्राम आहोर तहसील आहोर जिला जालोर के वर्तमान ख.न. 1377/1273 रकबा 0.32 है. कि आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के पाबंद किया जाता है कि अपीलाण्ट की आराजी में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें एवं अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
15/07/2021